

प्रेस विज्ञप्ति थाना खोराबार गोरखपुर दिनांक 06.01.2023

धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त जवाहर यादव की लगभग 290 करोड़ रूपए(दो अरब नब्बे करोड़ रूपया) की अवैध सम्पत्ति जप्त की गयी ।

अब तक कुल 4,16,05,01,200/- रूपए (चार अरब सोलह करोड़ पांच लाख एक हजार दो सौ रूपया) की अवैध सम्पत्ति जप्त की जा चुकी है, शेष अन्य चल-अचल सम्पत्ति के जप्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैंट गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण में शासन द्वारा कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश वाद सं0 4475/2022 बनाम जवाहर यादव के अनुपालन के क्रम में थाना खोराबार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 338/2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त जवाहर यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी मदरहवा सुब्बा बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर व परिजन की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अभियुक्त के पुत्र दुर्गेश यादव निवासी उपरोक्त की ग्राम तालकन्दला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर में स्थित 1. अराजी संख्या 207 मि. व अभियुक्त की पुत्र वधु सीमा यादव पत्नी दुर्गेश यादव की ग्राम तालकन्दला में स्थित अराजी सं0 218,136,137, व अभियुक्त के पुत्र अभिषेक यादव की ग्राम तालकन्दला में स्थित अराजी सं0 250,248,247,249,239 मि., अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त की ग्राम रामपुर में स्थित अराजी सं0 360, 342 मि., 336, 55क, 273ख, 341क, 43, 613, 310, 58 अभियुक्त के पुत्र शैलेश यादव की ग्राम रामपुर में स्थित अराजी सं0 120,47,46ख,59 मि.,417 मि.,609,618क,235,160,161, 237,7,48, 46क,57, 236,16मि.,91,371,121,229, 341ख, 345, 400ख, 157, 17मि.,379,370क, 371,76, 83, अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त की ग्राम रामगढ़ उर्फ चवारी में स्थित अराजी सं0 163मि0,164क मि0,166 मि0, 167, 168,170,171,172 , अभियुक्त के पुत्र दुर्गेश यादव उपरोक्त की ग्राम रामगढ़ उर्फ चवारी में स्थित अराजी सं0 173मि,174मि,175,189,191,192,193,194,195,196, 197, 198, 199,200, 201,202,203,204,205, 206, 207,176,177,178,179,183 मि.,185,187 मि.,160,161 मि.,162,186 मि. को तहसीलदार सदर के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कैंट तथा प्रभारी निरीक्षक खोराबार की मौजूदगी में आज जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी । जिसकी कुल कीमत लगभग 2,89,65,01,200/- रूपए है । अब तक अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त की कुल 4,16,05,01,200/- रूपए की अवैध सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है। अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त के विरुद्ध शेष अन्य चल अचल सम्पत्ति की जप्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

जप्त होने वाली सम्पत्ति का विवरण-

1. ग्राम तालकन्दला स्थित अराजी सं0 250,248,247,249,239 मि. भूमि
2. ग्राम जं0 रामगढ़ उर्फ चवारी स्थित अराजी सं0 163मि0,164क मि0,166 मि0, 167, 168, 170, 171,172,173मि,174मि,175,189,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,176,177,178,179,183मि.,185,187मि.,160,161 मि.,162,186 मि.भूमि
3. ग्राम रामपुर स्थित अराजी सं0 360, 342 मि, 336, 55क, 273ख,341क,43,613,310,58, 120,47, 46ख, 59मि., 417मि., 609, 618क, 235, 160, 161, 237, 7, 48, 46क, 57, 236, 16मि., 91,371,121, 229, 341ख,345,400ख,157,17मि.,379,370क, 371,76, 83, भूमि

अबतक कुल कीमत लगभग 4,16,05,01,200/- रूपए (चार अरब सोलह करोड़ पांच लाख एक हजार दो सौ रूपया) की अवैध सम्पत्ति जब्त की गयी ।

अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

जवाहर यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी मदरहवा सुब्बा बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 20/2021 धारा 147,148,149,34,302,120B भा0द0वि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 338/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर